न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 120/2024 GCMS No.—2024/93

1.किशन पुत्र मांगूराम
2. प्रागराम पुत्र मांगूराम
3. राधेश्याम पुत्र जगदीश
4. घीसी देवी पत्नी जगदीश
समस्त जाति मीणा निवासी गठवाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. अशोक सिंह वर्मा पुत्र हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी अचरोल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.2024 बअदालत न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 10/2024 उनवानी अशोक सिंह बनाम किशन व अन्य में पारित किया गया जिसके तहत प्रार्थी/रेस्पाडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

———————

उपस्थितः–
1. श्री एस.जे.गिरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः 18.07.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 10/2024 बउनवानी अशोक सिंह बनाम किशन अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधि0 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.09.2024 को न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पाडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 6 की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश में नियत थी लेकिन अधीनस्थ द्वारा कोई आदेश पारित नहीं कर अन्तिम मनमाना आदेश करने में भारी भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति जिसमें अपीलांट द्वारा उठायी गयी आपत्ति मियाद के बिन्दु के विरूद्ध कोई निर्णय पारित न कर मनमाना आदेश पारित किया गया है। रेस्पाडेन्ट द्वारा अजनबी केता है जिसका भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही विकेता/अलाटी का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है। विवादित भूमि के आवंटी परसाराम द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में वाद संख्या 148/2006 उनवानी परसाराम बनाम जगदीश दिनांक 05.08.2006 को प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 20.04.2010 को खारिज हो गया एवं जिसकी कोई अपील परसाराम द्वारा नहीं की गयी। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर 15 वर्षो से पुख्ता मकान बनाकर विद्युत कनेक्शन लगाकर निवास करते है तथा अपीलांट का कदीमी कब्जा काश्त है तथा भूमि का गलत आवंटन होने पर न्यायालय के समक्ष आवंटन निरस्ती हेतु पृथक से भूमि आवंटन नियम की धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अधीन बाद आवेदन की सूची में क.स. 68ग, 183बी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यो द्वारा धारित भूमि के अतिचारी की सरकारी तौर पर बेदखली के आवेदन जिसकी मियाद 12 वर्ष है जबकि अपीलांट का कब्जा कदीमी है तथा 15 वर्ष पूर्व मकान बनाकर निवास कर रहे है जिसके बाबत अपीलांट द्वारा वोटर आई कार्ड विद्युत बिल तथा ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के शपथ पत्र तथा वाद की सत्य प्रमाणित नकल प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन न कर क्षेत्राधिकार मियाद की कार्यवाही नही कर सकता। यदि उसे कब्जा प्राप्त करना है तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वही भी रेस्पा0 संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रस्तुत की गयी थी एवं पटवारी हल्का द्वारा भूमि कय करने के संबंध में तथ्य अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यो का न्यायिक विवेक से विवेचन, विश्लेषण नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 10/2014 बउनवानी अशोक सिंह बनाम किशन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पा. संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित है। अपीलांट ने रेस्पा0 की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं था। जिसके संबंध में रेस्पा0 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 28.08.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मे भी रेस्पा0 की खातेदारी भूमि पर अन्य खातेदार कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **RRD Date 14.08.2011 Jagdish & ors Vs sitaram, RRD 1996 jasbir khan vs Hazari ram,** आदि पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा. संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी अर्न्तगत राज0 काश्तकारी अधि0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 571/6 कुल रकबा 03541 है0 से प्रार्थना पत्र के अनुसार बेदखली के आदेश दिनांक 28.08.2024 को पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2024 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को पत्रांक 526 दिनांक 20.06.2024 द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया। जिसके कम में पटवारी हल्का गठवाडी की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2024 अनुसार ग्राम गठवाडी के खसरा नंबर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर के वर्तमान जमाबंदी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है मौके पर रेस्पा0 संख्या 1 कब्जा काश्त नहीं है एवं मौके पर अन्य खातेदार (अपीलांट्स) काबिज काश्त है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उभय पक्षों की दिनांक 14.08.2024 को बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आराजीयात रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसके संबंध में कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया एव ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार/आंवटी के वारिसान द्वारा दावा बाबत

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

घोषणा खातेदारी न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा दिनांक 11.01.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उक्त वाद में अपीलांट द्वारा भी चाराजोई की गयी थी। न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट) जमवारामगढ के आदेश दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील की गयी तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 06.07.2023 को खारिज की गयी। **According to RRD 2011 page 509 Board of revenue Rajasthan tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. According to RRD 1996 Board of revenue page 513 The bare perusal of sec. 183B of the Rajasthan tenancy act would show that the word used in the section is trespasser. Trespasser can be of any caste.** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 अशोक सिंह का इन्द्राज/खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1238 आदेश दिनांक 22.07.2023 के आधार पर रेस्पा0 को प्राप्त हुए है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पाडेन्ट के नाम से दर्ज है एवं रेस्पाडेन्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी तहसीलदार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि से अतिक्रमी को बेदखली की समरी कार्यवाही के प्रावधान उपलब्ध कराती है एवं इसमें अधिकारों का विनिश्चयन नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर